

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

क्रमांक एफ : 08-46/2018/विज्ञप्त / 550 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12/03/2019
प्रति,

1. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, रायपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.।
3. उप संचालक, कार्यालय स्थापना, स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छ.ग.।
5. अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, जिला बिलासपुर।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छ.ग.।

विषय:- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1-20/2019/सत्रह/एक अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26.02.2019.

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शासन द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

अतः शासन द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जारी दिशा-निर्देश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

संचालक द्वारा अनुमोदित

08/12/19
संयुक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक एफ : 08-46/2018/विज्ञप्त / 551 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12/03/2019
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सी.सी. संतोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किए जाने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08/12/19
संयुक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर-492002

क्रमांक एफ 1-20/2019/सत्रह/एक

अटल नगर, रायपुर, दिनांक

20/2/2019

प्रति,

01 ✓

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

02.

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

03.

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़,
पुराना नर्सिंग हॉस्टल,
डी.के.एस. भवन, रायपुर।

04.

संचालक,
आयुष, छत्तीसगढ़,
पुराना नर्सिंग हॉस्टल,
डी.के.एस. भवन, रायपुर।

विषय :- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु दिशा-निर्देश।

—0—

विषयांतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा संचालक आयुष के अधीन पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उच्च अध्ययन की अनुमति एवं अध्ययन अवकाश की मांग की जाती है। उच्च अध्ययन की अनुमति/अनापत्ति हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश, समय-सीमा, पात्रता, अवकाश स्वीकृति आदि में पारदर्शिता के उद्देश्य से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है:-

2. पात्रता :-

- क. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है उनके द्वारा उच्च अध्ययन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- ख. ऐसा पाठ्यक्रम जिसे लोकहित की दृष्टि से शासन के लिये निश्चित लाभ का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो तथा जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल न हुआ हो।
- ग. ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्य के साथ सीधा और निकट संबंध नहीं है, किन्तु उसका ज्ञान इस प्रकार विस्तारित हो कि एक लोक सेवक के रूप में उसकी योग्यता बढ़ाने में सहायक हो और वह लोक सेवा की अन्य शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग देने में अपने आप को अधिक सुसज्जित महसूस कर सके।
- घ. प्रतिनियुक्तिपर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च अध्ययन की पात्रता नहीं होगी।

निरंतर.....2

✓

DD (G/N/1/0E/Amo)

DD

आवक क्र.425...../आयु.119

आवक दिनांक

जावक दिनांक 02/02/19

3. उच्च अध्ययन का प्रकार :-

क. पूर्णकालिक शिक्षा :-

- I. पूर्णकालिक अध्ययन के लिए पात्रता अनुसार शासन के नियमों के अधीन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

ख. अंशकालिक शिक्षा :-

- I. शासकीय कार्य में कोई बाधा न आने की शर्त पर 3 साल की अधिकतम अवधि के लिए अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाएगा।

4. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु:- (इन-सर्विस अनुबंधित चिकित्सकों सहित)

- क. उच्च अध्ययन में प्रवेश हेतु संबंधित चिकित्सक द्वारा उसकी अनुमति संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन ली जावेगी। (परिशिष्ट-1)।
- ख. संबंधित कार्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को एकजाई कर संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में जानकारी मय मूल आवेदन संचालक को भेजेंगे, सम्बंधित संचालनालय के द्वारा अनुशंसा किए जाने पर शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति जारी की जावेगी।
- ग. संबंधित आवेदक के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा उच्च अध्ययन की अनुमति एवं अध्ययन अवकाश हेतु प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में मय मूल आवेदन, उच्च अध्ययन संबंधी आबंटन प्रपत्र (एलाटमेंट लेटर), छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 42 (5) (तीन) एवं 49 के तहत प्रपत्र में निष्पादित बंध-पत्र एवं प्रवेश परीक्षा हेतु जारी अनुमति/अनापत्ति पत्र (प्रवेश परीक्षा की स्थिति में) के साथ मय अनुशंसा प्रेषित करना होगा।
- घ. 05 वर्ष से कम सेवा वाले चिकित्सक/अधिकारी के मामले में संबंधित आवेदक के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा केवल उच्च अध्ययन के अनुमति हेतु प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-4) में मय मूल आवेदन, उच्च अध्ययन संबंधी आबंटन प्रपत्र (एलाटमेंट लेटर) के साथ प्रेषित किया जाना होगा।
- ङ. संबंधित चिकित्सक/अधिकारी के उच्च अध्ययन हेतु अनुमति प्राप्त होने पर संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी संबंधित चिकित्सक को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आबंटित संस्था/महाविद्यालय के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा।
- च. संबंधित चिकित्सक/अधिकारी द्वारा जिस राज्य में उच्च शिक्षा अध्ययन की अनुमति चाही गई है, उस राज्य के मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार छ.ग. मेडिकल कौंसिल, पत्र के माध्यम से सूचित करेगा कि उक्त चिकित्सक/अधिकारी के उच्च अध्ययन के डिग्री अथवा डिप्लोमा का पंजीयन अपने मेडिकल कौंसिल में बिना छ.ग. मेडिकल कौंसिल के अनापत्ति प्रमाण पत्र के न करें।
- छ. आवेदक को जारी की जाने वाली प्रत्येक अनुमति की प्रतिलिपि अनिवार्यतः रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल को दी जावेगी।

निरंतर.....3

5. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु

- क. परीक्षा/प्रशिक्षण अनुमति तथा अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन संबंधित अभ्यार्थी अपने पदस्थापना संस्था के नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित कराकर संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। किसी भी स्थिति में अभ्यार्थी संचालनालय में सीधे आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- ख. उच्च अध्ययन में प्रवेश हेतु आवेदन उचित माध्यम से संलग्न निर्धारित प्रारूप में की जाएगी।(परिशिष्ट-1)
- ग. संबंधित जिला कार्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को एकजाई कर संलग्न निर्धारित प्रारूप(परिशिष्ट-2)में जानकारी मय मूल आवेदन संचालक को भेजेंगे, जिनके आधार पर संचालक द्वारा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति जारी की जावेगी।
- घ. संबंधित आवेदक के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा उच्च अध्ययन की अनुमति एवं अध्ययन अवकाश हेतु प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में मय मूल आवेदन, उच्च अध्ययन संबंधी आबंटन प्रपत्र (एलाटमेंट लेटर), छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 42 (5) (तीन) एवं 49 के तहत प्रपत्र में निष्पादित बंध-पत्र एवं प्रवेश परीक्षा हेतु जारी अनुमति/अनापत्ति पत्र (प्रवेश परीक्षा की स्थिति में) के साथ मय अनुशंसा प्रेषित करना होगा।
- ङ. 05 वर्ष से कम सेवा वाले चिकित्सक/अधिकारी के मामले में संबंधित आवेदक के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा केवल उच्च अध्ययन के अनुमति हेतु प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-4) में मय मूल आवेदन, उच्च अध्ययन संबंधी आबंटन प्रपत्र (एलाटमेंट लेटर) के साथ प्रेषित किया जाना होगा।
- च. प्रत्येक कोर्स हेतु जिले की वरिष्ठता के आधार पर केवल 02 ही अभ्यार्थियों का नाम प्रेषित किया जायेगा। जिसका गोसवारा संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-5) में संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा।

6. अध्ययन अवकाश:-

- क. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- ख. उच्च अध्ययन हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर ली गई हो एवं कम से कम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की गई हो।
- ग. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो उन्हें अध्ययन अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा चाहे गये उच्च अध्ययन की अनुमति, इस आधार पर दे सकेगा कि चाहे गये उच्च अध्ययन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकास से जोड़े रखने में सहायक हो एवं उसका लाभ विभाग को मिलना संभावित हो।

निरंतर.....4

- घ. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो उनके प्रकरण में केवल असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- ङ. उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि 02 वर्ष से अधिक होने पर, अध्ययन अवकाश अवधि से अतिरिक्त अवकाश अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में मान्य किया जायेगा।

7. विविध

- क. प्रत्येक संवर्ग में शासकीय कार्यों के उचित निष्पादन की दृष्टि से उच्च पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु संबंधित संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में से केवल 10 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को ही उच्च पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी। उक्त 10 प्रतिशत में पूर्व से अध्ययनरत अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे।
- ख. जिस वित्तीय वर्ष में अध्ययन हेतु कर्मचारी को प्रस्थान करना है उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व तक ही आवेदन स्वीकार किए जायेंगे। अतः उच्च अध्ययन हेतु आवेदन केवल 31 मार्च तक स्वीकार किया जावेगा।
- ग. उच्च अध्ययन हेतु होने वाले संपूर्ण व्यय संबंधित कर्मचारी द्वारा की जावेगी एवं उसकी मांग विभाग से नहीं की जावेगी।
- घ. उच्च अध्ययन पश्चात् संबंधित चिकित्सक द्वारा उच्च अध्ययन के परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा विशिष्ट अध्ययन में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें पाठ्यक्रम की प्रारंभ एवं समाप्ति होने की तिथि तथा अभियुक्ति यदि कोई हो तो, अंकित होना चाहिए, प्रस्तुत करेंगे।
- ङ. उच्च अध्ययन से वापस लौटने के पश्चात् संबंधित कर्मचारी को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी।
- च. यदि किसी चिकित्सक/अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के उच्च अध्ययन किया जाता है तो उक्त चिकित्सक द्वारा व्यतित की गई अध्ययन की अवधि को डायजनॉन (मृत-दिवस) घोषित करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
- छ. यदि संबंधित चिकित्सक द्वारा उच्च अध्ययन पूर्ण किये/उत्तीर्ण किये बिना ही बीच में छोड़कर वापस आते हैं तो संबंधित के उक्त अवकाश अवधि को अध्ययन अवकाश न मानते हुए असाधारण अवकाश मान्य किया जावेगा।
- ज. उच्च अध्ययन की अनुमति की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जावेगी। उच्च अध्ययन की अनुमति प्रशासकीय विभाग, कार्यक्षेत्र में लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए एवं सुविधाएं प्रभावित न हो उक्त बात को ध्यान में रखते हुए लेगा।



- झ. अध्ययन हेतु दी गई अनुमति के संबंध में संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. स्तर पर संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-6) में पंजी का संधारण किया जावेगा एवं वर्ष में दी गई अनुमति की जानकारी शासन को प्रेषित करेंगे।
- ञ. उच्च अध्ययन की समाप्ति के अधिकतम 03 माह तक यदि संबंधित चिकित्सक/अधिकारी द्वारा उपस्थिति संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. को नहीं दी जाती है तो, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।
- ट. ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण, अभियोजन लंबित है अथवा जो निलंबित हैं या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है अथवा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रभावशील नहीं होगी।
- ठ. सेवारत अभ्यर्थियों के संबंध में आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी में यदि किसी प्रकार की जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो उक्त अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ड. किसी भी विषम परिस्थिति अथवा लोकहित में अध्ययन करने की अनुमति शासन द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- ढ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग छ.ग. द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम 2002 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत समय-समय पर जारी नियम/निर्देश यथा-संशोधित लागू होंगे।

उपरोक्तानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी हेतु जारी उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/विनियम/आदेश/निर्देश यथा-संशोधित लागू होंगे।



(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
अटल नगर, रायपुर

उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र
प्रारूप

प्रति,

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,
तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.।

द्वारा:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला.....
.....छ.ग.।

विषय:- उच्च शिक्षा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम हेतु दिनांक.....को
आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति बाबत।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता उच्च शिक्षा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/
सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा.....(प्रवेश परीक्षा का नाम)
में सम्मिलित होना चाहता है, जो दिनांकको आयोजित है।

अतः उक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदाय करने का कष्ट करें।
अधोहस्ताक्षरकर्ता का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पदनाम :-
4. पदस्थापना स्थल :-
5. जन्मतिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
6. प्रथम नियुक्ति तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
7. परिवीक्षा अवधि समाप्ति हुई है या नहीं,
यादि हों तो परिवीक्षा समाप्ति का दिनांक :- दिन.....माह.....वर्ष.....
8. शैक्षणिक योग्यता :-
9. अनुशासनात्मक कार्यवाही/अनाधिकृत अनुपस्थिति
का विवरण (हाँ या नहीं। यदि हों तो विवरण दें) :-.....

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:-.....

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रारूप

क्र.	सेवा संवर्ग	प्रवेश परीक्षा का नाम	चिकित्सक/कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना स्थल	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल सेवा अवधि (न्यूनतम 05 वर्ष पूर्ण दिनांक की स्थिति में।)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संवर्ग का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4

—:: प्रमाण पत्र ::—

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार की गई है एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की दी गई जानकारी सही है।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

पदमुद्रा:-.....

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पदनाम:-.....

जिला:-.....

छत्तीसगढ़।

पांच वर्ष से अधिक अवधि वाले शासकीय सेवकों के लिए उच्च शिक्षा की अध्ययन की अनुमति हेतु प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पदनाम :-
4. पदस्थापना स्थल :-
5. जन्मतिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
6. नियुक्ति तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
7. सेवानिवृत्ति तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
8. नियुक्ति संवर्ग :-
9. शासकीय सेवा 05 वर्ष के पूर्ण होने की तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
10. क्या पूर्व में अध्ययन अवकाश लिया गया है :-
- (हाँ/नहीं यदि हाँ तो सम्पूर्ण विवरण दें)
11. जिस पाठ्यक्रम हेतु अनुमति चाही :-
- जा रही है, उसका विवरण
12. किसी प्रकार की विभागीय जांच/अनाधिकृत :-
- अनुपस्थिति या अन्य किसी प्रकार
- का दण्डादेश प्रभावशील तो नहीं है।
13. उच्च अध्ययन की तिथि एवं अवधि का स्पष्ट :- दिनांक.....से दिनांक.....तक
- उल्लेख करें:- कुल अवधि वर्ष.....माह.....दिन.....
14. क्या प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक :-
- पूर्ण कर ली गई है अथवा नहीं।
15. छ.ग. सिविल सेवाएं/अवकाश नियम 2010 के :-
- कंडिका 42(1)के तहत उसके कार्य क्षेत्र से निकट संबंध है।
- (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)
16. क्या चाहा गया उच्च अध्ययन की अनुमति :-
- छ.ग. सिविल सेवाएं/अवकाश नियम 2010 के
- अंतर्गत नियम 42(3) के तहत लोकहित के दृष्टि
- से लाभकारी है।
17. क्या परीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप :-
- से पूर्ण की गई है। (यदि नहीं तो विवरण दें)
18. अवकाश समाप्त होने के पश्चात् 03 वर्ष की :-

शासकीय सेवा की वचनबद्धता हेतु नियम 49 के
तहत प्रपत्र 05 में बंध पत्र निष्पादित किया गया है।
(हाँ या नहीं, यदि हाँ तो बंध पत्र संलग्न करें)

नियंत्रक अधिकारी के अनुशंसा :-

.....
.....
.....

नियंत्रक अधिकारी के पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

नाम :-

पदनाम :-

पदस्थापना स्थल :-



(परिशिष्ट-4)

पांच वर्ष से कम अवधि वाले शासकीय सेवकों के लिए उच्च शिक्षा की अध्ययन की अनुमति हेतु प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पदनाम :-
4. पदस्थापना स्थल :-
5. जन्मतिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
6. नियुक्ति तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
7. सेवानिवृत्ति तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
8. नियुक्ति संवर्ग :-
9. शासकीय सेवा 05 वर्ष के पूर्ण होने की तिथि :- दिन.....माह.....वर्ष.....
10. क्या पूर्व में अध्ययन अवकाश लिया गया है :-
(हाँ/नहीं यदि हाँ तो सम्पूर्ण विवरण दें)
11. जिस पाठ्यक्रम हेतु अनुमति चाही :-
जा रही है, उसका विवरण
12. किसी प्रकार की विभागीय जांच/अनाधिकृत :-
अनाधिकृत अनुपस्थिति या अन्य किसी प्रकार
- का दण्डादेश प्रभावशील तो नहीं है।
13. उच्च अध्ययन की तिथि एवं अवधि का स्पष्ट :- दिनांक.....से दिनांक.....तक
उल्लेख करें:- कुल अवधि वर्ष.....माह.....दिन.....
14. क्या प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक :-
पूर्ण कर ली गई है अथवा नहीं।
15. छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 के :-
कंडिका 42(1)के तहत उसके कार्य क्षेत्र से निकट संबंध है।
(हाँ या नहीं का उल्लेख करें)
16. क्या चाहा गया उच्च अध्ययन की अनुमति :-
छ.ग. सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 के
अंतर्गत नियम 42(3) के तहत लोकहित के दृष्टि
से लाभकारी है।
17. क्या परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप :-
से पूर्ण की गई है। (यदि नहीं तो विवरण दें)
18. अवकाश समाप्त होने के पश्चात् 03 वर्ष की :-



शासकीय सेवा की वचनबद्धता हेतु नियम 49 के
तहत प्रपत्र 05 में बंध पत्र निष्पादित किया गया है।
(हाँ या नहीं, यदि हाँ तो बंध पत्र संलग्न करें)

नियंत्रक अधिकारी के अनुशंसा :-

नियंत्रक अधिकारी के पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

नाम :-

पदनाम :-

पदस्थापना स्थल :-

4

(परिशिष्ट-5)

प्रशिक्षण में वयन होने के उपरान्त विभागीय अनुमति/अनापत्ति दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रारूप

क्र.	सेवा संवर्ग	प्रवेश परीक्षा का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना स्थल	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल सेवा अवधि (न्यूनतम 05 वर्ष पूर्ण दिनांककी स्थिति में।)	क्या प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण है	जिले में वरिष्ठता क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संवर्ग का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4

—:: प्रमाण पत्र ::—

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार की गई है एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रस्ताव अनुशासा सहित प्रेषित है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की दी गई जानकारी सही है।

स्थान:-.....
दिनांक:-.....
पदमुद्रा:-.....

हस्ताक्षर:-.....
नाम:-.....
पदनाम:-.....
जिला:-..... छत्तीसगढ़।



(परिशिष्ट-6)

उच्च अध्ययन हेतु दी गई अनुमति के संबंध संधारित पंजी का प्रारूप

क्र.	नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि		आबंटित महाविद्यालय नाम	दी गई अनुमति का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	नियंत्रणकर्ता से कार्यमुक्ति उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में उपस्थिति दिनांक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से महाविद्यालय हेतु कार्यमुक्ति दिनांक	पाठ्यक्रम पूर्ण उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में उपस्थिति दिनांक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्ति दिनांक	रिमार्क
						दिनांक से	दिनांक तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

शाखा प्रभारी अधिकारी के पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर